स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

अधिसूचना

16 अप्रील 1984

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1984

सं० 490(1)-स्वा०—उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1983 (23, 1983) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1984 कहलाएगी।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में —

(क) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1983 (23,1983) ;
(ख) "निदेशक" से अभिप्रेत है संस्थान का निदेशक ;
(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार-राज्य सरकार ;
(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है शासक बोर्ड का अध्यक्ष; और
(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा।

3. शासक-बोर्ड के सदस्यों का नाम-निर्देशन—(क) इंडियन मेडिकल एसोसियेशन द्वारा नाम-निर्देशन—धारा 5 की मद (6) के अधीन सदस्यों के नाम निर्देशन के प्रयोजनार्थ, इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के अध्यक्ष से उक्त एसोसियेशन की कार्यकारी परिषद् की सिफारिश पर विशेषज्ञ-पक्ष से एक व्यक्ति का नाम-निर्देशित करेंगे।

(ख) धारा 5 की मद (8) के अधीन सदस्य के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के वरीयतम प्रधानाचार्य का नाम निर्देशन करेगा।

(ग) धारा 5 की मद (9) के अधीन सदस्यों के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ भारत सरकार (स्वास्थ्य मंत्रालय) चक्रानुक्रम से अ०भा० आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।स्नातकोत्तर संस्थान (पी०जी०आई०), चंडीगढ़ के निदेशक।संकायाध्यक्ष का नाम निर्देशित करेगी।

(घ) धारा 5 की मद (2) के अधीन सदस्यों के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष शासक बोर्ड में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक प्रतिनिधि का नाम निर्देशित करेंगे।

(ङ) धारा 5 की मद (12) के अधीन सदस्य के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय, शासक-बोर्ड में एक व्यक्ति का नाम निर्देशन करेगी।

(च) धारा 5 की मद (13) के अधीन सदस्य के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया एक व्यक्ति का नाम निर्देशित करेगी।

(छ) धारा 5 की मद (14) के अधीन सदस्य के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, यंत्रात्मिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली शासक बोर्ड में एक व्यक्ति का नाम निर्देशित करेंगे।

(ज) धारा 5 की मद (15) के अधीन सदस्य के नाम निर्देशन के प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की परिषद् से शासक-बोर्ड में एक व्यक्ति को नाम-निर्देशित करने का अपेक्षा की जायगी।

(झ) धारा 5 की मद (16) के अधीन सदस्य के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, बिहार सरकार का परिवार कल्याण विभाग शासक-बोर्ड में एक लब्ध प्रतिष्ठ प्रबंध विशेषज्ञ का नाम निर्देशित करेगा।

(ङ) धारा 5 की मद (18) के अधीन सदस्यों के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज), नई दिल्ली की कार्यकारिणी में भारतीय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की सूची प्राप्त कर ली जायेगी। इस सूची के व्यक्तियों के बीच से राज्य सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शासक-बोर्ड में तीन व्यक्तियों का नाम निर्देशन करेगा।

(च) धारा 5 की मद (19) के अधीन सदस्यों के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, कार्यकारी परिषद् संस्थान, चार संकाय सदस्यों को दो वर्षों के लिए चक्रानुक्रम सेवरीयता के अनुसार नाम निर्देशित करेगी जिनमें प्राचार्य, एक सह-प्राचार्य और एक सहायक प्राचार्य रहेंगे।

4. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना--पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य के पद पर हुई आकस्मिक रिक्ति धारा 5 के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति नाम निर्देशन या निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नाम निर्देशित/निर्वाचित सदस्यों की पदावधि अवशेष अवधि के लिए होगी।

5. अध्यक्ष और सदस्यों का भत्ता--(क) अध्यक्ष का कोई सदस्य केवल धारा 27 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अधीन अनुमान्य यात्रा और दैनिक भत्ते का ही हकदार होगा। वे अन्य किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।

(ख) उप-नियम (क) की कोई भी बात निदेशक पर लागू नहीं होगी जो निदेशक के पद से संलग्न वेतन और भत्ते को निकासी कर सकेगा।

6. स्थायी समितियां--धारा 11 की उप-धारा (3) के अनुसार निम्नलिखित पांच समितियां गठित की जायेंगी:

(क) स्थायी शैक्षणिक (एकेडिमिक) समिति।

(ख) स्थायी वित्त समिति।

(ग) स्थायी सम्पदा (इस्टेट) समिति।

(घ) स्थायी अस्पताल समिति।

(ङ) स्थायी चयन समिति।

(क) स्थायी शैक्षणिक (एकेडमिक) समिति--स्थायी शैक्षणिक (एकेडमिक) समिति संस्थान का शैक्षणिक एकेडमिक निकाय होगी जिसमें संकायाध्यक्ष (डीन) धारा 5 की मद (18) के अधीन चिकित्सा संकायों के सदस्य धारा 5 की मद (9) के अधीन नाम निर्देशित निदेशक/संकायाध्यक्ष द्वारा 5 की मद (8) के अधीन नाम निर्देशित बिहार के चिकित्सा महाविद्यालयों का वरिष्ठ प्रधानाचार्य धारा 5 के मद (19) के अधीन नाम निर्देशित संस्थान का एक संकायाध्यक्ष और संस्थान के तीन संकाय सदस्य जो चक्रानुक्रम से प्राचार्य, सह-प्राचार्य और सहायक प्राचार्य की कोटि से नाम निर्देशित किये जायेंगे। संस्थान का संकायाध्यक्ष (डीन) स्थायी शैक्षणिक एकेडमिक समिति का अध्यक्ष होगा। स्थायी शैक्षणिक (एकेडिमिक) समिति संस्थान के भीतर शिक्षा और परीक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का संपादन करेगी जैसा कि कार्यकारी परिषद् और शासी निकाय द्वारा उसे प्रदत्त किया जाए।

(ख) स्थायी वित्त समिति--स्थायी वित्त समिति निम्न रूप में गठित होगी:--

(1) बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव या उसका नाम निर्देशिती--पदेन।
(2) बिहार सरकार के वित्त विभाग के सचिव या उसका नाम निर्देशिती--पदेन।
(3) संस्थान का वित्तीय सलाहकार--सचिव।
(4) संस्थान का निदेशक--अध्यक्ष।
(5) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च) के शासी निकाय द्वारा नाम निर्देशित संस्थान का निदेशक--पदेन।
(6) राज्य सरकार (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला एक राज्य प्रतिष्ठ प्रबंध विशेषज्ञ।
(7) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक अथवा महानिदेशक--पदेन।
(8) अकादमी की परिषद् द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी का एक प्रतिनिधि।

निम्नलिखित मामले स्थायी वित्त समिति को निर्दिष्ट किये जायेंगे जो उनपर विचार करके उनके बारे में अपनी सिफारिशें करेगी :--

(क) वार्षिक लेखा, जिसमें संस्थान की आय-व्यय दिखलाया रहेगा और उसपर दी गई अंकेक्षण रिपोर्ट;
(ख) बजट प्राक्कलन, जिसमें संस्थान का प्राक्कलित आय-व्यय दिखाया रहेगा;
(ग) नए पदों के सृजन के लिए सभी प्रस्ताव;
(घ) निदेशक को प्रत्यायोजित मामलों से भिन्न संस्थान से संबंधित सभी वित्तीय मामले ;
(ङ) पदाधिकारियों/उप-समितियों की शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित सभी मामले ;
(च) निविदा मांगने और उसकी मंजूरी से संबंधित सभी मामले ।

(ग) स्थायी सम्पदा (इस्टेट) समिति—

यह समिति निम्नलिखित रूप में गठित होगी :—
(1) संस्थान का निदेशक ;
(2) संस्थान का संकायाध्यक्ष (डीन) ;
(3) अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक ;
(4) स्वास्थ्य विभाग (राज्य सरकार) का एक प्रतिनिधि ;
(5) संस्थान का अधीक्षण अभियन्ता ;
(6) लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियन्ता ;
(7) विद्युत विभाग का अधीक्षण अभियन्ता ;
(8) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का अधीक्षण अभियन्ता; और
(9) धारा 5 की मद (16) के अधीन शासक-बोर्ड में नाम निर्देशित किया जानेवाला एक प्रबंध विशेषज्ञ।

यह समिति संस्थान के भवन के परिवर्द्धन और परिवर्तन पर विचार करेगी और उसके अनुरक्षण और उपभोग से संबंधित प्रश्नों के संबंध में कार्रवाई करेगी ।

(घ) स्थायी अस्पताल समिति—
यह समिति निम्न रूप में गठित होगी—
(1) संस्थान का निदेशक ;
(2) संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक ;
(3) एक-एक वर्ष के लिए, चक्रानुक्रम से नैदानिक (क्लिनिकल) सेवाओं के पांच विभागाध्यक्ष ;
(4) उस क्षेत्र के निवासियों की प्रत्येक कोटि से एक प्रतिनिधि ;
(5) चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नाम निर्देशित की जानेवाली नर्स और सहायक स्टाफ ;
(6) संस्थान का वित्तीय सलाहकार; और
(7) संस्थान का अधीक्षक अभियन्ता । स्थायी अस्पताल समिति अस्पताल सेवा को और विकसित करने और उसका उच्च स्तर बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(ङ) स्थायी चयन समिति—
यह समिति निम्न रूप में गठित होगी :—
(1) संस्थान का निदेशक ;
(2) बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती ;
(3) महानिदेशक/अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भारत सरकार ;
(4) संस्थान का डीन ;
(5) कार्यकारी परिषद् द्वारा नाम निर्देशित दो विशेषज्ञ; और
(6) संबद्ध विभागाध्यक्ष, जो समिति में सह-प्राचार्य (एसोसियेट प्रो०) और उसके नीचे के पदों पर चयन के लिए रहेगा । संस्थान का निदेशक समिति का संयोजक होगा ।

(2) स्थायी चयन समिति संस्थान के श्रेणी 1 और 2 के पदाधिकारियों की नियुक्ति और प्रोन्नति से संबंधित सभी विषयों के संबंध में संस्थान से अनुशंसा करेगी ।

(3) संस्थान का निदेशक, स्थापना समिति, जिसमें निदेशक, अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि रहेंगे की अनुशंसा पर श्रेणी 3 और श्रेणी 4 कोटि के सभी मंजूर पदों पर नियुक्ति के लिए, सक्षम होगा ।

7. पदों का सृजन और उनपर नियुक्ति--(क) संस्थान बजट में विनिर्दिष्ट उपबंध के अध्याधीन सरकार द्वारा यथा अनुमोदित वेतनमानों में पदों का सृजन कर सकेगी, उन्हें कोटियों में वर्गीकृत कर सकेगा और उनके पदनाम विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(ख) संस्थान का निदेशक धारा 12 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया जायगा।

(ग) संस्थान के सभी पद व्यवसाय वंची (नन-प्रैक्टिसिंग) होंगे और चयन खुले विज्ञापन के बाद गुणागुण के आधार पर किया जायगा।

8. बजट प्राक्कलन--वार्षिक बजट जिसमें संस्थान का प्राक्कलित आय-व्यय दिया रहेगा तीन भागों में सरकार द्वारा विनिहित फारम में तैयार किया जायगा और उसके पास प्रतिवर्ष 15 अक्तूबर तक तीन प्रतियों में उपस्थापित किया जायगा :

भाग 1--नैदानिक (क्लिनिकल) सेवा केन्द्र।
भाग 2--नैदानिक (क्लिनिकल) शोध/केन्द्र।
भाग 3--सामुदायिक/शोध केन्द्र।

9. निधि में निक्षेप और उससे निकासी--(क) निधि में आकलित सभी धन पटना स्थित भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में जमा किया जायगा।

(ख) निधि निदेशक या इस निमित्त निदेशक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत संस्थान के किसी पदाधिकारी और संस्थान के वित्तीय सलाहकार के संयुक्त हस्ताक्षर से परिचालित की जायगी और निधि से निकासी चेक द्वारा की जायगी।

(ग) भुगतान के पहले सभी बिलों की जांच संस्था के लेखा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

10. लेखा का वार्षिक विवरण--संस्थान के लेखा का वार्षिक विवरण जिसमें तुलन-पत्र भी शामिल है सरकार द्वारा निर्धारित फारमों में तैयार किया जायगा। 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष से संबंधित विवरण तथा उसकी अंकेक्षण रिपोर्ट अगले 31 दिसम्बर तक सरकार को भेज दी जाएगी और उसके साथ इतनी अतिरिक्त प्रतियां भी रहेंगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा अपेक्षित हों।

11. वार्षिक रिपोर्ट--धारा 21 में विनिर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित होगी और सरकार के अगले 31 अगस्त तक अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजी जायगी।

12. विवरणी--संस्थान सरकार को ऐसे फारम में और ऐसी रीति से विवरणियां और जानकारी भेजेगा जैसा कि सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
आर० एन० चौधरी उप-सचिव,

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री, भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट, 17 लाईनो--781--1,000--म० ना० सहाय।